

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतीपकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 1973/माघ 28, 1894
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 1973/MAGHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th February 1973

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water Engineering (Class I) Service Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. GSR 1596, dated the 15th October, 1965, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Water Engineering (Class I) Service (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Amendment of rule 20.**—In the Central Water Engineering (Class I) Service Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 20, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that a candidate already in Government service, whether in a permanent or a temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee, shall obtain prior permission of the Head of the Department or office concerned to appear for the examination.”

3. **Amendment of rule 21.**—In rule 21 of the said rules,—

(1) in sub-rule (2), in clause (f), for the word “Ceylon”, the words “Sri Lanka” (formerly known as Ceylon) shall be substituted; and

(2) in sub-rule (4), for Note (iii), the following Note shall be substituted, namely:—

"NOTE (iii).—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at the examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided that the qualifying examination including the Practical training or Project work is completed before the commencement of the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination including the Practical training or Project work as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of the examination."

[No. 1/73-F. 39/2/73-Adm.I.]

सिवाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1973

जी० एस० आर० 63 (अ).—संविधान की धारा 309 का परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार, सिवाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 1596, दिनांक 15 अक्तूबर, 1965 के साथ प्रकाशित केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी—एक) सेवा नियमावली, 1965 का और संशोधन करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामशः :

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी—एक) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. नियम 20 का संशोधन :—केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी—एक) सेवा नियमावली, 1965 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा जाएगा) में नियम 20 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"वर्गों की अभ्यर्थी नें, जो पहले से ही सरकारी सेवा में स्थायी रूप में हो अथवा अस्थायी रूप में अथवा आकस्मिक या दैनिक-वेतन कर्मचारी के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में हो इस परीक्षा में बैठने के लिए सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय के अध्यक्ष की अनुज्ञा ली हो ।"

3. नियम 21 का संशोधन.—उक्त नियमावली के नियम 21 में,

(1) खण्ड (च) में उप-नियम (2) में "सिलोन" शब्द के स्थान पर "श्री लंका (जिसे पहले सिलोन कहा जाता था) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ;

(2) उप-नियम (4) में नोट (iii) को निम्नलिखित नोट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए नामशः :—

"नोट (iii).—वह अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है जो उस परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस परीक्षा में बैठने के योग्य हो सकता है किन्तु जिसे अभी इसके परिणाम से सूचित नहीं किया गया

हे। वह अभ्यर्थी भी आवेदन-पत्र दे सकता है जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठने का इच्छुक हो बशर्ते कि व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा परियोजना कार्य समेत अर्हकारी परीक्षा, इस परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व समाप्त हो गई हो। यदि ऐसे अभ्यर्थी अन्यथा योग्य होंगे तो उन्हें परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा किन्तु यह प्रवेश अनन्तिम ही समझा जाएगा और यदि वे यथाशीघ्र और किसी भी हालत में परीक्षा के आरम्भ होने के दो महीने के अन्दर अन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा परियोजना कार्य समेत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण नहीं देते तो इसे रद्द कर दिया जाएगा”।

[संख्या 1/73-एक, 39/2/73-प्रशासन-एक]

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Power Engineering (Class I) Service Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. GSR 1597, dated the 15th October, 1965, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Power Engineering (Class I) Service (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 20.—In the Central Power Engineering (Class I) Service Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 20, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that a candidate already in Government service, whether in a permanent or a temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee, shall obtain prior permission of the Head of the Department or office concerned to appear for the examination.”

3. Amendment of rule 21.—In rule 21 of the said rules—

(1) in sub-rule (2), in clause (f), the word “Ceylon”, the words “Sri Lanka (formerly known as Ceylon)” shall be substituted; and

(2) in sub-rule (4), for Note (ii), the following Note shall be substituted, namely:—

“NOTE (iii).—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at the examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided that the qualifying examination including the Practical training or Project work is completed before the commencement of the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination including the Practical training or project work as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of the examination.”

[No. 2/73-E. 39/2/73-Adm.I.]

A. S. SHARMA, Jt. Secy

जी० एस० आर० 64 (अ).—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार, सिचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 1597 दिनांक 15 अक्टूबर, 1965 के साथ प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत्

इंजीनियरी (श्रेणी-एक) सेवा नियमावली, 1965 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामशः—

1. संपित शीर्षक द्वारा प्रारम्भ (1) इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी-एक) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. नियम 20 का संशोधन.—केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी-एक) सेवा नियमावली, 1965 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा जाएगा) ये नियम 20 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“वशत कि अभ्यर्थी ने, जो पहले से ही सरकारी सेवा में, स्थायी रूप में ही अथवा अस्थायी रूप में अथवा आकस्मिक या दैनिक वेतन कर्मचारी के अतिरिक्त, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में हो, इस परीक्षा में बैठने के लिये सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय के अध्यक्ष की अनुज्ञा ली हो”

3. नियम 21 का संशोधन.—उक्त नियमावली के नियम 21 में,—

(1) खण्ड (च) में उप-नियम (2) में “सिलोन” शब्द के स्थान पर “श्री लंका (जिसे पहले सिलोन कहा जाता था)” शब्द प्रतिस्थापित किया जाये,

(2) उप-नियम (4) में, नोट (सीन) को निम्नलिखित नोट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये नामशः—

“नोट (iii) वह अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है जो उस परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस परीक्षा में बैठने के योग्य हो सकता है किन्तु जिसे अभी इसके परिणाम से सूचित नहीं किया गया है । वह अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र दे सकता है जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठने का इच्छुक हो वशत कि व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा परियोजना कार्य समेत अर्हकारी परीक्षा, इस परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व समाप्त हो गई हो । यदि ऐसे अभ्यर्थी अन्यथा योग्य होंगे तो उन्हें परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा किन्तु यह प्रवेश अन्तिम ही समझा जाएगा और यदि वे यथाशीघ्र और किसी भी हालत में परीक्षा के आरम्भ होने के दो महीने के अन्दर अन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा परियोजना कार्य समेत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण नहीं देते तो इसे रद्द कर दिया जाएगा” ।

[संख्या 2/73-एफ 39/2/73-प्रशासन-एक]

आनन्द स्वरूप शर्मा, संयुक्त सचिव ।